

प्रारंभिक परीक्षा

बोनेट मकाक (Bonnet macaque)

संदर्भ

केरल सरकार बोनेट मैकाक प्रजाति की जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा फसल की क्षति को कम करने के लिए इसकी नसबंदी करने की योजना बना रही है, तथा इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी जा रही है, क्योंकि यह प्रजाति संरक्षित है तथा इसे असुरक्षित प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बोनेट मैकाक के बारे में -

- **वैज्ञानिक नाम:** मकाका रेडिएटा
- **स्थानिक:** दक्षिण भारत
- **संरक्षण की स्थिति:**
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची-I प्रजातियाँ (उच्चतम संरक्षण)
 - घटती जनसंख्या के कारण IUCN रेड लिस्ट के अनुसार "असुरक्षित"
- **निवास स्थान:** आमतौर पर जंगलों, मानव बस्तियों और पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्रों में देखा जाता है
- **व्यवहार:** समूह में विचरण करता है; भोजन की तलाश में प्रायः मानव क्षेत्रों में प्रवेश करता है
- **मनुष्यों के साथ संघर्ष:**
 - फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है, खासकर जंगल से सटे गांवों में
 - नारियल और अन्य फसलों पर हमला करने के लिए जाना जाता है
- **भोजन की आदत:**
 - बचे हुए मानव भोजन से पूरित प्राकृतिक आहार
 - अनुचित अपशिष्ट निपटान के कारण अक्सर इको-पर्यटन क्षेत्रों में देखा जाता है



स्रोत: द हिंदू

सरिस्का टाइगर रिजर्व

संदर्भ

50 बंद खदानों को पुनः खोलने के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्निर्धारण की कांग्रेस ने आलोचना की है तथा इसे पारिस्थितिकी दृष्टि से हानिकारक कदम बताया है, जिससे बाघ संरक्षण प्रयासों को खतरा हो सकता है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में -

- **स्थान:** राजस्थान
- **इतिहास:** पूर्व में अलवर के महाराजा का शाही शिकारगाह रहा यह स्थान 1955 में वन्यजीव अभ्यारण घोषित किया गया तथा बाद में 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।
- **ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल:** पांडु पोल, भानगढ़ किला, अजबगढ़, प्रतापगढ़, सिलीसेढ़ झील और जय समंद झील।
- **वनस्पति प्रकार:** वन मुख्य रूप से उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **वनस्पति:** रिजर्व मुख्यतः ढोक वृक्षों से आच्छादित है। अन्य पौधों की प्रजातियों में अलार, कदया, गोल, बेर, बरगद, गुगल, बांस, कैर और अदुस्ता शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:** बाघों के अलावा, यह रिजर्व विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जैसे तेंदुए, सांभर हिरण, चीतल, नीलगाय, चार सींग वाले मृग और जंगली सूअर।

स्रोत: [द हिंदू](#)

 STUDY IQ
IAS

सिंथेटिक जीनोम(Synthetic genome)

संदर्भ

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मानव डीएनए को पूरी तरह से नया बनाकर तैयार करने के लिए **सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट (SynHG)** की शुरुआत की है।

सिंथेटिक जीनोम क्या है?

- **सिंथेटिक जीनोम प्रयोगशाला में पूर्णतः कृत्रिम रूप से निर्मित या संशोधित डीएनए अनुक्रम होता है।**
- वैज्ञानिक इन जीनोमों को डिजाइन और संयोजित करते हैं, ताकि सिंथेटिक डीएनए को मेजबान कोशिका में डालकर जीवन रूपों को परिवर्तित या निर्मित किया जा सके।
- यह किसी जीव की आनुवंशिक संरचना पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है।
- **उदाहरण:** वैज्ञानिकों ने माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स (**Mycoplasma mycoides**) का जीनोम कृत्रिम रूप से तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा सिंथेटिक जीवाणु बना जो स्वयं की प्रतिकृति (**replication**) बनाने में सक्षम है — इसे अक्सर "कृत्रिम जीवन" (**synthetic life**) कहा जाता है।
- **महत्व:**
 - **विनिर्माण एवं जैव प्रौद्योगिकी:** यह ऐसे सूक्ष्मजीवों के सृजन को सक्षम बनाता है जो औद्योगिक पैमाने पर जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स और रसायनों का उत्पादन कर सकते हैं।
 - **चिकित्सा विज्ञान:** जीन थेरेपी, व्यक्तिगत चिकित्सा और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सिंथेटिक टीकों के लिए दरवाजे खोलता है।
 - **वैज्ञानिक अनुसंधान:** न्यूनतम या कस्टम जीनोम बनाकर जीवन के विकास और कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है।
 - जीन कार्यों और जीवन की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पनाओं के परीक्षण में सहायता करता है।
 - **AMR(एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध) को समझना:** सिंथेटिक जीवों का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार दवा प्रतिरोध विकसित करते हैं, जिससे बेहतर एंटीबायोटिक दवाओं को डिजाइन करने में मदद मिलती है।
 - **पर्यावरणीय उपचार:** सिंथेटिक जीनोम वाले इंजीनियर्ड जीव प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं, प्लास्टिक को विघटित कर सकते हैं, या विषाक्त अपशिष्ट को अवशोषित कर सकते हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

पंजीकृत पार्टियाँ

संदर्भ

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपने रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है और उनका भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के बारे में -

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29A के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल, लेकिन जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।**
- **विशेषाधिकार:**
 - आयकर छूट के लिए पात्र
 - चुनाव लड़े बिना भी कानूनी तौर पर राजनीतिक दान प्राप्त किया जा सकता है।
- **सामान्य प्रतीक आवंटन:** यदि वे किसी राज्य के प्रासंगिक विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के कम से कम 5% उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वे सामान्य प्रतीकों के लिए पात्र हैं।
- **पैमाना:**
 - 2025 तक भारत में 2,800 से अधिक RUPP है।
 - ADR के अनुसार, उनकी संख्या 2010 में 1,112 से बढ़कर 2019 में 2,301 हो गई - जो एक दशक में दोगुनी से भी अधिक है।
- **स्थिति:**
 - भारत में पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों में से लगभग 97% गैर-मान्यता प्राप्त हैं।
 - अधिकांश अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट और प्रकटीकरण दाखिल करने में विफल रहते हैं।

राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए मानदंड -

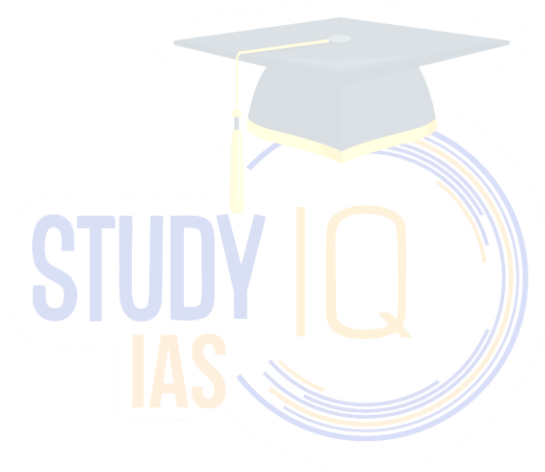
- **राज्य दल (State Party) के रूप में मान्यता के लिए (किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक):**
 1. संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और विधानसभा में 2 सीटें जीतना।
 2. संबंधित राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा में 1 सीट जीतना।
 3. विधानसभा में न्यूनतम 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीतना।
 4. राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर 1 सीट जीतना।
 5. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य भर में डाले गए वैध मतों का 8% प्राप्त करना, चाहे कोई सीट न जीती हो।
- **राष्ट्रीय दल (National Party) के रूप में मान्यता के लिए (किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक):**
 1. 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतना।
 2. कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल लोकसभा सीटों का 2% (अर्थात् 11 सीटें) जीतना।
 3. 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त होना।

RUPP के साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक मुद्दे -

- **चुनावी निष्क्रियता:** कई RUPP ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, जो उनकी वास्तविक राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है।
- **वित्तीय पारदर्शिता का अभाव:** 2013-2016 के बीच 5% से भी कम लोगों ने दान रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो खराब वित्तीय अनुपालन को दर्शाता है।
- **कर का दुरुपयोग:** राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद कर छूट का आनंद लेने के लिए आयकर अधिनियम की धारा-13A का दुरुपयोग करना।
- **सत्यापन योग्य उपस्थिति नहीं:** कई पार्टियों के पास कोई कार्यात्मक कार्यालय या कर्मचारी नहीं हैं और वे RPA, 1951 की धारा 29A के तहत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

- **चुनाव के समय वृद्धि:** चुनाव के वर्षों के दौरान पार्टी पंजीकरण में तीव्र वृद्धि अक्सर अवैध दान या प्रॉक्सी उम्मीदवारों के दुरुपयोग का संकेत देती है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board)

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय हल्दी किसानों की 40 साल पुरानी मांग पूरी हो गई।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड -

- **प्रकार:** वैधानिक निकाय
- **मुख्यालय:** निजामाबाद, तेलंगाना (भारत की हल्दी राजधानी के रूप में जाना जाता है) में स्थित है।
- **सम्मिलित मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
 - आयुष मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, सहकारिता मंत्रालय के साथ समन्वय करता है
- **शासी निकाय संरचना:**
 - **अध्यक्ष:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
 - **सचिव:** वाणिज्य विभाग से
 - सदस्यों में शामिल हैं:
 - उपर्युक्त मंत्रालयों के अधिकारीगण
 - प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि: तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय
 - किसान प्रतिनिधि, निर्यातक और अनुसंधान संस्थान
- **उद्देश्य:**
 - हल्दी के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और वैश्विक विपणन को प्रोत्साहित करना।
 - किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिचौलियों को हटाना।
 - हल्दी के औषधीय और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देना।
 - वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए रसद, गुणवत्ता और निर्यात तत्परता में सुधार करना।
 - हल्दी की खेती और प्रसंस्करण में प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास को समर्थन देना।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
 - संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निर्यात अवसंरचना का विकास करना।
 - जीआई-टैग वाली जैविक हल्दी किस्मों को बढ़ावा देना।
 - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
 - इनके साथ सहयोग करना:
 - मसाला बोर्ड
 - राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)
 - हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहकारी निकाय।

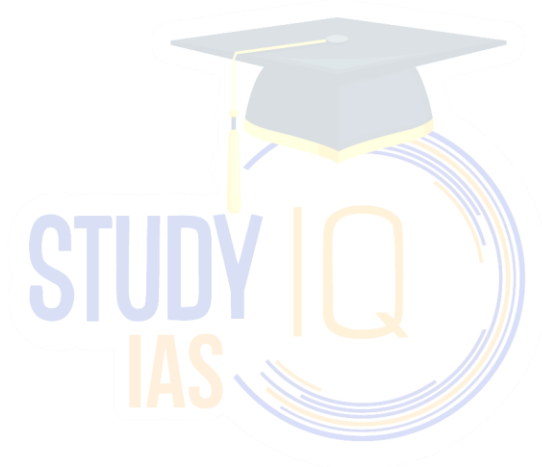
हल्दी की खेती (करकुमा लोंगा) -**● बढ़ने की स्थितियाँ:**

- **जलवायु:** गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 20-30°C के बीच।
- **वर्षा:** इसके लिए उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, आदर्शतः 1500 मिमी या उससे अधिक।
- **मिट्टी:** अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी।

तथ्य -

- हल्दी प्रकंदों (बीजों से नहीं) द्वारा प्राप्त होती है।
- भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।
- हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है।
- **शीर्ष उत्पादक राज्य:** (1) महाराष्ट्र (2) कर्नाटक (3) तेलंगाना (4) तमिलनाडु।
- भारत सरकार ने भारत में हल्दी क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 2023 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की
 - नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

स्रोत: [पीआईबी](#)



सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशन

संदर्भ

29 जून 2025 को 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर 3 प्रकाशन जारी किए।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

प्रकाशनों में सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025, SDG पर डेटा सैपशॉट - NIF प्रगति रिपोर्ट 2025 और सतत विकास लक्ष्य - NIF 2025 शामिल हैं।

NIF प्रगति रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएं -

- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा कवर की गई जनसंख्या 22% (2016) से बढ़कर 64.3% (2025) हो गई।
- **कृषि उत्पादकता:** प्रति श्रमिक कृषि में सकल मूल्य संवर्धन ₹61,247 (2015-16) से बढ़कर ₹94,110 (2024-25) हो गया।
- **सुरक्षित पेयजल तक पहुंच (ग्रामीण):** उन्नत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 94.57% (2015-16) से बढ़कर 99.62% (2024-25) हो गया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 16.02% (2015-16) से बढ़कर 22.13% (2024-25) हो गई।
 - स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 64.04 वाट प्रति व्यक्ति (2014-15) से बढ़कर 156.31 वाट प्रति व्यक्ति (2024-25) हो गई।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या 829 (2019-20) से बढ़कर 3,036 (2024-25) हो गई।
 - संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत 17.97% (2015-16) से बढ़कर 80.7% (2024-25) हो गया।
- **उद्यमिता:** स्टार्ट-अप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 453 (2016) से बढ़कर 34,293 (2024) हो गई।
- **असमानता में कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (घरेलू व्यय) 0.283 (2011-12) से घटकर 0.237 (2023-24) हो गया।
 - शहरी क्षेत्रों में यह 0.363 (2011-12) से घटकर 0.284 (2023-24) हो गया।
- **जलवायु कार्रवाई:** सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर की तुलना में 2020 में 36% कम हो गई।
- **डिजिटल कनेक्टिविटी:** इंटरनेट सदस्यता 302.36 मिलियन (2015) से बढ़कर 954.40 मिलियन (2024) हो गई।
- **वन क्षेत्र:** कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र 21.34% (2015) से बढ़कर 21.76% (2023) हो गया।

स्रोत: [पीआईबी](#)

समाचार संक्षेप में

नोबल रोट(Noble rot)

समाचार?

वैज्ञानिकों ने पाया है कि वाइन में 'नोबल रॉट' (Noble Rot) पैदा करने वाले फफूंद (fungus) Botrytis cinerea की डीएनए संरचना सामान्य से बिल्कुल अलग है। इसके सभी आनुवंशिक पदार्थ (DNA) एक ही नाभिक (nucleus) में नहीं पाए जाते, बल्कि यह **कई नाभिकों में विभाजित** होता है — जो कि अब तक किसी भी जीव में पहले कभी नहीं देखा गया था। यह खोज जीवविज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक अद्वितीय व महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है।

नोबल रॉट (बोट्रीटिस सिनेरिया) के बारे में -

- यह बोट्रीटिस सिनेरिया के कारण होने वाला एक विशेष प्रकार का फंगल संक्रमण है, जिसका उपयोग वाइन बनाने में किया जाता है।
- यह कैसे काम करता है: यह कवक अंगूरों को संक्रमित करता है, उनके छिलके को छेदता है, तथा अंगूरों से पानी खींचकर उन्हें सिकुड़ने का कारण बनता है।
 - इससे शर्करा और स्वाद सांद्रित हो जाते हैं, जिससे यह जूस मीठी वाइन के लिए आदर्श बन जाता है।
- **आर्थिक मूल्य:** नोबल रॉट का उपयोग करके बनाई गई वाइन कटाई और प्रसंस्करण की जटिलता के कारण दुर्लभ और महंगी होती हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

संपादकीय सारांश

भारत में नए आपराधिक कानूनों और डिजिटल पुलिसिंग उपकरणों का कार्यान्वयन और चुनौतियाँ

संदर्भ

- भारत में नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत, साथ ही 'ई-साक्ष्य' ऐप और CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) जैसे डिजिटल पुलिसिंग टूल, कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
 - यद्यपि ये परिवर्तन अधिक पारदर्शिता और दक्षता का वादा करते हैं, किन्तु इनके कार्यान्वयन से कई व्यावहारिक और तकनीकी चुनौतियाँ सामने आई हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने और निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है।

ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन क्या है?

- **विकसित:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के तहत
- **लक्ष्य:** अपराध स्थलों पर दृश्य-श्रव्य साक्ष्यों के वास्तविक समय संग्रह, संरक्षण और अपलोडिंग में पुलिस अधिकारियों की सहायता करना।
- **प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:**
 - तलाशी और जब्ती, अपराध स्थल की वीडियोग्राफी और गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग - प्रत्येक क्लिप 4 मिनट तक सीमित है, जिसमें प्रत्येक एफआईआर में कई क्लिप जोड़ने की क्षमता है।
 - साक्ष्य प्रमाणित करने के लिए सेल्फी अपलोड करना अनिवार्य करना
 - डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए प्रत्येक रिकॉर्डिंग के लिए SHA-256 हैश उत्पन्न करना
 - राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड में साक्ष्य संग्रहित करना, जो CCTNS के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे पूर्णतः एकीकृत होने पर न्यायालय तक पहुंच संभव हो सकेगी
 - ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड उपलब्ध कराना, कनेक्टिविटी की समस्या होने पर विलंबित अपलोड की अनुमति देना।

कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में चुनौतियाँ -

- **डिजिटल अवसंरचना और पहुंच:** जांच अधिकारियों (आईओ) को अक्सर साक्ष्य संग्रह के लिए अपने निजी मोबाइल फोन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आधिकारिक उपकरण अपर्याप्त होते हैं।
 - 'ई-साक्ष्य' ऐप के लिए एंड्रॉयड संस्करण 10+ और कम से कम 1 जीबी स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिससे बिना संगत फोन वाले अधिकारियों को नया फोन खरीदना पड़ता है।
 - कुछ पुलिस स्टेशनों में केवल एक ही आधिकारिक टैबलेट है, हालांकि प्रत्येक स्टेशन पर कई आईओ हैं।
- **साक्ष्य प्रबंधन और न्यायालय प्रक्रियाएं:** न्यायालय अभी तक आईसीजेएस के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार क्लाउड (एनजीसी) में संग्रहीत डिजिटल साक्ष्य तक सीधे पहुंच नहीं सकते हैं।
 - जांच अधिकारियों को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए फाइलों को मैनुअल रूप से पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ता है, जिससे कार्य में दोहराव होता है और अतिरिक्त लागत आती है।
 - लिंकड एफआईआर में, यदि चित्र/वीडियो खराब तरीके से कैप्चर किए गए हों तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता; केवल अनलिंकड मोड में ही हटाना संभव है (पांच एसआईडी तक)।
- **संसाधन की कमी:** यद्यपि अपराध स्थलों पर फोरेंसिक विशेषज्ञों का दौरा अब अनिवार्य है, फिर भी फोरेंसिक बुनियादी ढांचे (प्रयोगशालाएं, उपकरण, विशेषज्ञ) में आनुपातिक रूप से सुधार नहीं हुआ है।
 - सभी जिलों में समर्पित मोबाइल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला इकाई नहीं हैं।

- **कानूनी और प्रक्रियात्मक अस्पष्टताएं:** धारा 303(1) बीएनएस छोटी चोरी (5000 रुपये से कम) को संज्ञेय अपराध के रूप में पंजीकृत करने पर भ्रम पैदा करती है।
 - धारा 112 बीएनएस (छोटे संगठित अपराध) खुली-खुली है, जिसके कारण इसका अनुप्रयोग असंगत है।
- **तकनीकी एवं परिचालन संबंधी मुद्दे:** अभियुक्त व्यक्ति साक्ष्य प्राप्ति के दौरान वीडियोग्राफी कराने में हिचकिचाते हैं (जैसे, छिपे हुए हथियार/ड्रग्स दिखाना)।
 - साइबर अपराध के मामलों में डिजिटल साक्ष्य के लिए विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता होती है, लेकिन कई राज्य प्रयोगशालाओं को आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, जिससे अदालत में उनकी भूमिका सीमित हो जाती है।
 - ऑफलाइन मोड में, नेटवर्क क्षेत्र में अपलोड करने से पहले अधिकतम पांच एसआईडी (साक्ष्यों के सेट) ही बनाए जा सकते हैं।
- **मेडिकल रिपोर्ट की समयबद्धता:** जांच अधिकारियों को समय पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे जांच की समयसीमा प्रभावित होती है।

आगे की राह -

- **डिजिटल और फॉरेंसिक अवसंरचना को मजबूत करना:** फॉरेंसिक और आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के लिए संसाधनों में वृद्धि करना, ताकि जांच अधिकारियों को अधिक आधिकारिक उपकरण (मोबाइल, टैबलेट) उपलब्ध कराए जा सकें और प्रत्येक जिले में समर्पित मोबाइल एफएसएल इकाइयां स्थापित की जा सकें।
 - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बेहतर संचालन और सत्यापन के लिए आईटी अधिनियम के तहत राज्य साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित और सुसज्जित करना।
- **डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में सुधार: प्रत्यक्ष न्यायालय पहुंच:** न्यायालयों को आईसीजेएस के माध्यम से एनजीसी में संग्रहीत साक्ष्य (फोटो, वीडियो) तक सीधे पहुंचने में सक्षम बनाना, जिससे पेन ड्राइव में मैन्युअल कॉपी करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और दोहराव और लागत में कमी आएगी।
 - ऐप की सीमाओं को संबोधित करें (जैसे कि लिंक की गई एफआईआर में खराब तरीके से कैप्चर किए गए साक्ष्य को हटाने की क्षमता)।
- **प्रक्रिया सरलीकरण और फीडबैक:** कार्यान्वयन की आसानी, व्यावहारिक चुनौतियों और कानूनी बाधाओं की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फीडबैक प्राप्त करें, तथा इस इनपुट का उपयोग प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और जमीनी स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए करें।
 - हैश मानों (SHA256) के स्वतः सृजन और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए अनिवार्य प्रमाणपत्रों के माध्यम से साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करना।
- **कानूनी स्पष्टीकरण और प्रशिक्षण:** एकसमान अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अस्पष्ट कानूनी प्रावधानों (जैसे धारा 303(1) और धारा 112 बीएनएस) की समीक्षा करें और उन्हें स्पष्ट करें।
 - नए कानूनों, डिजिटल उपकरणों और फॉरेंसिक प्रथाओं पर आईओ के लिए निरंतर प्रशिक्षण।
- **मेडिकल रिपोर्ट की समयबद्धता में सुधार:** वास्तविक समय में पुलिस के साथ चिकित्सा-कानूनी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निर्माण और साझाकरण को कारगर बनाने के लिए मेडलीपीआर जैसी प्रणालियों को देश भर में लागू किया जाना चाहिए।

स्रोत: [द हिंदू](#)

केस स्टडी: पचगांव – सामुदायिक वन अधिकार और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार

पृष्ठभूमि

पचगांव महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक गांव है। ऐतिहासिक रूप से, पचगांव के आसपास के जंगलों को वन विभाग द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था, जो सामुदायिक अधिकारों या पारिस्थितिक स्थिरता पर बांस जैसे संसाधनों की औद्योगिक आपूर्ति को प्राथमिकता देता था। परिणामस्वरूप स्थानीय आजीविका और जंगलों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा।

मुख्य हस्तक्षेप -

- **वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ, पचगांव गांव को लगभग 1,000 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन अधिकार (CFR) प्रदान किए गए।**
- इस कानूनी सशक्तीकरण ने वन प्रशासन को राज्य से स्थानीय समुदाय के पास स्थानांतरित कर दिया।
- **समुदाय-नेतृत्व वाली कार्यवाहियां:**
 - **टिकाऊ बांस की कटाई:** समुदाय ने बांस के संसाधनों का प्रबंधन खुद ही करना शुरू कर दिया, सामूहिक रूप से और पारदर्शी तरीके से बांस बेचना शुरू कर दिया। इससे ग्रामीणों को सीधे तौर पर अच्छी खासी आय होने लगी।
 - **हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना:** पहले, ग्रामीण नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए तेंदू के पत्तों को आग लगाते थे। CFR के बाद, उन्होंने दीर्घकालिक पारिस्थितिक नुकसान को समझते हुए स्वेच्छा से इस प्रथा को बंद कर दिया।
 - **संरक्षण पहल:** गांव ने 30 हेक्टेयर भूमि को पवित्र उपवन के रूप में अलग रखा है, तथा जैव विविधता को बनाए रखने और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में इसे किसी भी संसाधन निष्कर्षण से सुरक्षित रखा है।
 - **सहभागी प्रबंधन:** वन उपयोग, संरक्षण और राजस्व बंटवारे से संबंधित निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक और समावेशी शासन सुनिश्चित होता है।

परिणाम और प्रभाव -

- **पारिस्थितिक लाभ:**
 - वनों में बेहतर पुनर्जनन और स्वस्थ वृद्धि देखी गई है।
 - कार्बन अवशोषण में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान।
 - जैव विविधता में वृद्धि, विशेष रूप से पवित्र उपवन क्षेत्र में।
- **सामाजिक और आर्थिक लाभ:**
 - बांस और अन्य लघु वन उपज की बिक्री से आय में निरन्तरता और वृद्धि।
 - **पलायन में कमी:** आर्थिक स्थिरता ने ग्रामीणों को अन्यत्र काम की तलाश में जाने से हतोत्साहित किया है।
 - ग्रामीणों में आत्म-सम्मान और सामाजिक एकता में सुधार हुआ।
- **टिकाऊ आजीविका:** इस मॉडल ने पारिस्थितिकी अखंडता से समझौता किए बिना आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे संरक्षण और समृद्धि का एक अच्छा चक्र बना।

महत्व -

पचगांव मार्ग को व्यापक रूप से सहभागी वन प्रबंधन और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह दर्शाता है:

- टिकाऊ और न्यायसंगत वन प्रशासन सुनिश्चित करने में सामुदायिक अधिकारों की प्रभावशीलता।
- संरक्षण और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और जन भागीदारी का महत्व।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट सहित अन्य क्षेत्रों के लिए एक अनुकरणीय खाका।

निष्कर्ष

पचगांव मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कानूनी सशक्तिकरण और सामुदायिक प्रबंधन किस तरह से पारिस्थितिकी और आर्थिक दोनों उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। यह पूरे भारत में सामुदायिक वन अधिकारों, विकेंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया और वन प्रबंधन के लिए प्रकृति-केंद्रित, जन-उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

